उत्तर प्रदेश शासन,

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-4/1513/तीस-4-2013-88/99

लखनऊ: दिनांक: 31 अक्टूबर, 2013

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 65, 96, 207 और 213 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सन् 1988 के उक्त अधिनियम, की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन जारी सरकारी अधिसूचना संख्या-1399/तीस-4-2013-88/99 दिनांक 23 अगस्त, 2013 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश मोटरयान (पन्द्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटरयान (पन्द्रहवॉ संशोधन) नियमावली, 2013 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 2 में:-

(क) निम्नलिखित खण्ड निकाल दिया जायेगा:-

(चार) " मोटरयान निरीक्षक " का तात्पर्य परिवहन आयुक्त द्वारा इस रूप में नियुक्त और किसी सम्भाग या उप सम्भाग के मुख्यालय पर सहायक सम्भागीय निरीक्षक के रूप में तैनात व्यक्ति से है।"

(ख) खण्ड (छब्बीस) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

" (छब्बीस-क) " टैक्सी मीटर " का तात्पर्य ऐसे माप यंत्र, चाहे यांत्रिक हो या इलेक्ट्रानिक, से है जो यात्रा के किसी क्षण प्राधिकृत दरों के अनुसार किसी मोटर कैब के यात्री द्वारा देय प्रभारों को निरन्तर रूप से योग करता हो और उन्हें इंगित करता हो।

नियम 57 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 57 में :-

(क) नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पॉच) और (छ:) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

http://shasanadesh.up.nic.in

स्तम्भ-एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(एक) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को ठेका गाड़ी, प्राइवेट सेवा यान या माल वाहनों की परमिट को स्वीकृत करने, इंकार करने, नवीकरण करने या अन्तरित करने की शक्ति,	(एक) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, अपने अपर सचिव और/या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को ठेका गाड़ी, प्राइवेट सेवा यान या माल वाहनों की परमिट को स्वीकृत करने, इंकार करने, नवीकरण करने या अन्तरित करने की शक्ति,
(दो) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा (2) के अधीन अस्थायी और विशेष परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,	(दो) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव और/या यहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 87 और धारा 88 की उपधारा (8) के अधीन अस्थायी और विशेष परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,
(तीन) अपने सम्भाग के भीतर किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अस्थायी परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,	(तीन) अपने सम्भाग के भीतर किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट को धारा 87 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन अस्थायी परमिटों की स्वीकृति से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,
(चार) अपने सचिव को, और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 के अधीन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करने या	(चार) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 के अधीन अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाले परिवहन यानों के सम्बन्ध में परमिटों को

http://shashiadesh.up.nic.in

प्रतिहस्ताक्षरित करने से इन्कार करने की शक्ति,	प्रतिहस्ताक्षरित करने या प्रतिहस्ताक्षरित करने से इंकार करने की शक्ति,
(पॉच) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 82 और 83 के अधीन यानों का प्रतिस्थापन स्वीकृत करने या प्रतिस्थापन स्वीकृत करने से इन्कार करने से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,	(पॉच) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव और/या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में संबंधित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 82 और 83 के अधीन यानों का प्रतिस्थापन स्वीकृत करने या प्रतिस्थापन स्वीकृत करने से इन्कार करने से सम्बन्धित अपनी समस्त या कोई शक्ति,
(छः) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 86 के अधीन दूसरा अनुज्ञा-पत्र जारी करने की शक्ति,	(छः) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव और/या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को नियम 86 के अधीन दूसरा अनुज्ञा-पत्र जारी करने की शक्ति,

(ख) नीचे स्तम्भ एक में दिये गये विद्यमान खण्ड (नौ) और (दस) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगें, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(नौ) अपने सचिव को, और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन-पत्र पर अनुज्ञा-पत्र जारी करने की शक्ति,	(नौ) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव और या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी धारा 103 के प्रयोजनार्थ अधिसूचित मार्ग या अधिसूचित क्षेत्र के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम के आवेदन-पत्र पर अनुज्ञा-

http://shasnadesh.up.nic.in

(दस) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को और किसी सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सम्बन्धित सम्भाग के किसी सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल वाहनों 88 की उपधारा (12) के अधीन माल के लिए राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने नवीकरण करने, या इन्कार करने की शक्ति,	पत्र जारी करने की शक्ति, (दस) अपने सचिव को और राज्य परिवहन प्राधिकरण की दशा में अपने अपर सचिव और/या सहायक परिवहन आयुक्त (प्रशासन) को या दोनों को और सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की दशा में, सम्बन्धित सम्भाग के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी को धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन माल वाहनों के लिए राष्ट्रीय परमिट स्वीकृत करने, नवीकरण करने, या इन्कार करने की शक्ति,

नए नियम 69 क का बढ़ाया जाना

4- उक्त नियमावली में, नियम 69 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"69 क- ठेका गाड़ी के रूप में मोटर कैब के लिये परमिट विशेष शर्तें- परिवहन प्राधिकरण किसी मोटर कैब-ठेका गाड़ी परमिट में यह शर्त लगा सकता है कि इस नियमावली के नियम 166 क के उपबंधो के अध्यधीन टैक्सी मीटर लगाया जायेगा और उसे सुचारू रूप से चालू हालत में रखा जायेगा। "

नए नियम 166 क का बढ़ाया जाना

5- उक्त नियमावली में, नियम 166 के पश्चात् निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"166 क-टैक्सी मीटर- (1) टैक्सीमीटर, नियंत्रक, बाट और माप, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या नियंत्रक बाट और माप, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत निरीक्षक (बाट और माप) द्वारा मीटर का सम्यक रूप से अनुमोदन, परीक्षण और मुद्रांकन किया जायेगा।

(2) परमिट धारक, जिसको टैक्सीमीटर लगवाने की आवश्यकता है, बाट और माप मानक अधिनियम 1976, बाट और माप मानक (सामान्य) नियम 1987 और बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 और/या अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित, परीक्षित एवं मुद्रांकित टैक्सीमीटर लगा हुआ यान उप नियम (1) के अधीन प्रस्तुत करेगा।

(3) परमिट धारक, निरीक्षक, बाट और माप, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि उप नियम (2) के प्रयोजनार्थ टैक्सीमीटर का सत्यापन किया जा चुका है।

(4) कोई व्यक्ति टैक्सीमीटर से युक्त किसी मोटर कैब को न चलायेगा अथवा न चलवायेगा अथवा न चलाने की अनुज्ञा देगा, यदि यान में टैक्सी-मीटर लगा और मुद्रांकित न हो अथवा यदि वह यह जानता हो अथवा उसके

http://shasnadesh.up.nic.in

यह विश्वास करने का कारण हो कि मीटर ठीक नही है अथवा वह ठीक प्रकार से कार्य नही कर रहा है।

(5) कोई टैक्सीमीटर, जो किसी प्रकार से खराब है किसी भी मोटर कैब में नहीं लगाया जायेगा।

(6) बाट और माप के किसी निरीक्षक द्वारा नोटिस तामिल किये जाने पर मोटर कैब का स्वामी अपने मोटर कैब से टैक्सीमीटर को तत्काल हटा लेगा और उसे प्रयोग में नहीं लायेगा जब तक कि उसके दोष दूर न कर लिये जाय और उसका सत्यापन निरीक्षक द्वारा न कर लिया जाय।

(7) टैक्सीमीटर से युक्त प्रत्येक मोटर कैब का ड्राईबर मोटर कैब को किराये पर दिये जाने के पूर्व टैक्सीमीटर को चालू नही करेगा और जब भाड़े पर लेने वाला व्यक्ति रीडिंग को नोट कर ले और किराया प्रभार का भुगतान कर दिया जाय तो ड्राईबर मीटर को तत्काल बंद कर देगा।

(8) किसी मोटर कैब को उसके किराये पर लगाने के समय से अथवा यदि दूर से बुलाया जाय तो इस प्रकार बुलाये जाने के समय से किराये पर दिया गया समझा जायेगा।

(9) यदि किसी व्यक्ति द्वारा भाड़े पर लिये गये टैक्सीमीटर से युक्त मोटर कैब का ड्राईवर उसके मीटर के यंत्र विन्यास में किसी दोष के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ रहता है तो वह "स्टाप्ड" या "ब्रेक डाउन" से सम्बन्धित झंडी को तुरन्त नीचे कर देगा और अपना मीटर पुन: तब तक चालू नही करेगा जब तक मीटर का दोष ठीक न कर दिया जाय।

(10) कोई ड्राईवर किसी भी परिस्थिति में या किसी समय टैक्सीमीटर के अग्रभाग को न ढकेगा और न ही धुंधला करेगा।

(11) जब झंडी उर्ध्वाधर स्थिति में हो, कोई ड्राईवर बिना किसी युक्ति युक्त कारण से कैब को भाड़े पर देने से मना नहीं करेगा।

(12) किराया आदि की संगणना की पद्धति:-

(क) प्रत्येक यांत्रिक या इलेक्ट्रानिक डिजिटल मीटर इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि-

(एक) वह यथास्थिति, उचित स्लाट में अथवा उचित डिजीटल डिस्प्ले, जो लाइट इमिटिंग डायोडस (एल.ई.डी.एस.) युक्त होगा, पर समय के हिसाब से अथवा किलोमीटर में दूरी के हिसाब से किराये की धनराशि इंगित करे।

(दो) उसके साथ एक झण्डी होगी जो मीटर की स्थिति प्रदर्शित करेगी या उसमें प्रदीप्त शब्दों से युक्त बिण्डो होगी जो यह प्रदर्शित करेगी कि मीटर चालू है अथवा नहीं अर्थात "भाड़े पर

http://shasanadesh.up.nic.in

दिया गया (हायर्ड)" या "भाड़े के लिए (फार हायर)" या "बन्द (स्टाप्ड)"।

(ख) यांत्रिक मीटर के स्लाट में या इलेक्ट्रानिक डिजिटल मीटर के डिजिटल डिस्प्ले पर दी जाने वाली सूचना, यांत्रिक मीटर के प्रत्येक स्लाट में या इलेक्ट्रानिक मीटर के डिजिटल डिस्प्ले पर दी गयी सूचना की प्रकृति यथास्थिति, स्लाट या डिजिटल डिस्प्ले के ठीक ऊपर या नीचे उचित क्रियाविधि द्वारा इंगित की जायेगी। रूपये या रूपये और पैसे सूचित करने वाले शब्द और चिन्ह समुचित डिस्क या ड्रम पोजीशन के ऊपर, नीचे या बगल में तत्काल स्थापित किये जायेंगे।

(ग) यदि कोई इलेक्ट्रानिक डिजीटल मीटर हो तो इसमें मीटर के संचालन हेतु दो स्विच "मीटर स्विच" और "स्टाप स्विच" प्रदान किये जायेंगे और मीटर के संचालन के साथ समक्रमिक "रूफ लाईट" भी प्रदान की जायेगी ।

(घ) किसी इलेक्ट्रानिक डिजीटल मीटर यंत्रविन्यास इस प्रकार निर्मित किया जायेगा कि:-

(एक) " भाड़े के लिए " वाली विंडो प्रकाशित हो जाय, जब रूफ लाइट " ऑन " हो,

(दो) " भाड़े पर दिया गया (हायर्ड) वाली विंडो प्रकाशित हो जाय, और रूफ लाइट " आफ " हो जाय, जब मीटर स्विच को " आन " कर दिया जाय।

(तीन) " बंद " वाली विंडो प्रकाशित हो जाय, जब " बंद स्विच (स्टाप्ड स्विच) " को " आन " कर दिया जाय,

(चार) यह सम्भव नही होगा कि उपरोक्त खण्ड (एक) से (तीन) में उल्लिखित तीन स्थितियों से भिन्न किसी भी स्थिति में मीटर को सेट किया जाय,

(पॉच) किराया उस समय रिकार्ड होना " बंद " हो जाय, जब मीटर बंद स्थिति में हो,

(छः) दूरी के हिसाब से किराया मीटर के बाहर रिकार्ड हो जाय, यदि मीटर कैब को " स्टाप्ड " स्थिति में रहने वाले मीटर के साथ चलाया जाय,

(सात) रिकार्ड किया गया किराया धूमिल न होने पाये, जब मीटर " हायर्ड " या " स्टाप्ड " स्थिति में हो,

(आठ) जब " मीटर स्विच " बंद कर दी जाय, तो " भाड़े के लिए (फार हायर) " वाली विंडो प्रकाशित हो जाय, " रूफ लाईट " आन हो जाय और किरायें का पूर्व रिकार्ड स्पष्ट हो जाय और

http://shasnadesh.up.nic.in

मीटर के विभिन्न यंत्र-विन्यास प्रारम्भिक स्थिति में वापस आ जाय।

(नौ) समय और दूरी को रिकार्ड करने हेतु यंत्र-विन्यास को खण्ड (एक) से (आठ) में निर्दिष्ट स्विच के संचालन के सामान्य अनुक्रम के सिवाय लगाया अथवा हटाया न जा सके।

(ड.) यंत्र-विन्यास मीटर की दशा में, चेसिस गियर बाक्सको चलाने वाले पहिए का यंत्र-विन्यास कैब से जुड़ा हो।

नियम 227 का संसोधन

6- उक्त नियमावली में, नियम 227 में:-

(क) नीचे स्तम्भ एक में, दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया उपनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक विद्यमान उपनियम	स्तम्भ-दो एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) नीचे स्तम्भ एक में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ-2 में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उप बंधों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।	(2) नीचे स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट परिवहन विभाग के अधिकारी स्तम्भ (3) में उनके सामने विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबंधों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

क्र0सं0	अधिकारी	धाराएं
1	2	3
1.	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	114(1), 130 (2), 138(3) 136, 203, 206,207 और 213 (5)
2.	अपर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश	---तदैव---
3.	उप परिवहन आयुक्त	---तदैव---
4.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश	---तदैव---

क्र0सं0	अधिकारी	धाराएं
1	2	3
1.	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	114(1), 130 (2), 130 (3) 136, 203, 206,207 और 213 (5)
2.	अपर परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश	---तदैव---
3.	उप परिवहन आयुक्त	---तदैव---
4.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण,उत्तर प्रदेश	---तदैव---

http://shasanadesh.up.nic.in

5.	सहायक परिवहन आयुक्त,उत्तर प्रदेश	---तदैव---	5.	अपर सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	---तदैव---
6.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	---तदैव---	6.	सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश	---तदैव---
7.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	---तदैव---	7.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	---तदैव---
8.	यात्री/मालकर अधिकारी	114(1), 130	8.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	---तदैव---
9.	यात्री/मालकर अधीक्षक	114(1), 206	9.	यात्री/मालकर अधिकारी	114(1),130(2), 130(3),203, 206 और 207(1)
			10.	यात्री/मालकर अधीक्षक	114(1) और 206

(ख) नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक
विद्यमान उपनियम

(3) नीचे स्तम्भ-2 में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है।

क्र0सं0	अधिकारी	वर्दी
1	2	3
1.	अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन)	(एक) यू.पी.टी.एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा,

स्तम्भ-दो
एतदद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(3) नीचे स्तम्भ-2 में उल्लिखित परिवहन विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाली वर्दी ऐसी होगी जो स्तम्भ-3 में प्रत्येक के सामने उल्लिखित है।

क्र0सं0	अधिकारी	वर्दी
1	2	3
1.	अपर परिवहन आयुक्त(प्रवर्तन)	(एक)यू.पी.टी.एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा,

http://shasnadesh.up.nic.in

		(तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर यू.पी.टी.एस. का मोनोग्राम, (पांच)सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर अशोक स्तम्भ चिन्ह् दो पांच नुकीले स्टार के साथ, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे जूते, (आठ) नाम और पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।			(तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधों पर यू.पी.टी.एस. का मोनोग्राम (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधों की पट्टी पर अशोक स्तम्भ चिन्ह दो पांच नुकीले स्टार के साथ, (सात) (भारतीय सेना के सदृश्य) भूरे जूते, (आठ) नाम और पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।
2.	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक) यू.पी.टी;एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या	2.	सम्भागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन)	(एक)यू.पी.टी;एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी (दो) खाकी कोट (खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और

http://shasanadesh.up.nic.in

		खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) यू.पी.टी.एस. मोनोग्राम के साथ कंधे का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ पुलिस पैटर्न की पेटी गहरे भूरे रंग की क्रास बेल्ट, (छ:) कंधे की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्लेटेड तीन स्टार, (सात) भारतीय सेना के सदृश्य भूरे रंग के जूते, (आठ) नाम और पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा,			पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार)यू.पी.टी.एस. मोनोग्राम के साथ कंधे का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (छ:) कंधे की पट्टी पर अशोक स्तम्भ चिन्ह, (सात) (भारतीय सेना के सदृश्य) भूरे जूते, (आठ) नाम और पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा,
3.	यात्रीकर अधीक्षक	(एक) यू.पी.टी;एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) कोट (खुला	3.	सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)	(एक)यू.पी.टी;एस. मोनोग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट

http://shasnadesh.up.nic.in

कालर) पुलिस पैटर्न का पाजामा के साथ बुशर्ट या कमीज जो खाकी रंग के होंगे, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग सहित गहरे भूरे रंग के चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच)सिल्वर प्लेटेड बटन, (छः) काले जूते, (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मि0मी0 व्यास के होंगे। स्टार हल्का क्रास्ट किया हुआ होगा किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कंधे का बैज मोटे अक्षरों में यू.पी.टी.डी. अक्षर से युक्त होगा और कंधे की पट्टी के तल पर पहना जायेगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगे, (आठ) नाम और	(खुला कालर) खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार)यू.पी.टी.एस. मोनोग्राम के साथ कंधे का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (छः) कंधे की पट्टी पर पांच नोक वाला सिल्वर प्रिंटेड तीन स्टार, (सात) (भारतीय सेना के सदृश्य) भूरे रंग के जूते, (आठ) नाम और पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

http://shasnadesh.up.nic.in

		पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	4.	यात्री/मालकर अधिकारी या ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक	(एक) यू.पी.टी.डी. मोनो ग्राम के साथ खाकी फोरेज या बेरेट टोपी, (दो)खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार)यू.पी.टी.डी. मोनोग्राम के साथ कंधे का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (छः) कंधे की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्रिंटेड आधा लाल और आधा काला, (सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य) (आठ) नाम और
4.	ज्येष्ठ मोटरयान निरीक्षक	(एक) यू.पी.टी.डी. मोनो ग्राम के साथ खाकी फोरेज या बेरेट टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का पाजामा, (तीन) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (चार) कंधो पर यू.पी.टी.डी. का मोनोग्राम, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) कंधे की पट्टी पर समान्तर पांच नोक वाले तीन स्टार, पीला प्लेटेड आधा लाल और आधा काला, (सात) भूरे जूते			

http://shasnadesh.up.nic.in

		(भारतीय सेना के सदृश्य), (आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के ह्स्सि पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा,			पद नाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा,
5.	मोटरयान निरीक्षक	(एक) यू.पी.टी.डी. मोनो ग्राम के साथ खाकी फोरेज या बेरेट टोपी, (दो) टाई और गोल बुनी सीटी की डोरी जो हल्के खाकी रंग की होगी, (तीन) खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पाजामा, (चार) कंधो पर यू.पी.टी.डी.मोनोग्राम का बैज, (पांच) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की पेटी, (छः) आधा लाल आधा काला समान्तर सोल्डर स्ट्रैप पर पांच नोक वाले एलो प्लेटेड	5.	यात्रीकर अधीक्षक	(एक) यू.पी.टी.डी. मोनो ग्राम के साथ खाकी फोरेज टोपी, (दो) खाकी कोट (खुला कालर), खाकी बुशर्ट या खाकी कमीज और पुलिस पैटर्न का खाकी पाजामा, (तीन) हल्के नीले रंग की गोल बुनी सीटी की डोरी, (चार) सिल्वर फिटिंग के साथ गहरे भूरे चमड़े की पुलिस पैटर्न की क्रास बेल्ट, (पांच) सिल्वर प्रिंटेड बटन, (छः) काले जूते, (सात) पांच नोक वाले दो स्टार जो माप में 25 मि0मी0 व्यास

http://shasnadesh.up.nic.in

दो स्टार, (सात) भूरे जूते (भारतीय सेना के सदृश्य)	के होंगे। स्टार हल्का फ्रास्ट किया हुआ होगा किन्तु केन्द्र में कोई डिजाइन नहीं होगी। कंधे का बैज काले अक्षरों में यू.पी.टी.डी. अक्षर से युक्त होगा और कंधे की पट्टी के तल पर पहना जायेगा। स्टार और अक्षर सफेद धातु के होंगें,
(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।	(आठ) नाम और पदनाम सहित नाम का बैज जो वर्दी के सामने के हिस्से पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगा।

(बी0एस0 भुल्लर)
प्रमुख सचिव।

http://shasnadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no1513/ XXX-30-4-2013-88/99 dated October 31, 2013

Notification
No.1513/ XXX-30-4-2013-88/99
Lucknow: Dated: October 31, 2013

In exercise of the powers under section 65, 96, 207 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988(Act no.59 of 1988) the Governor is pleased to make following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998 after considering the objections and suggestions received in pursuanse of Government notification no:1399/xxx-4-2013-88/99, dated August 23, 2013 issued under sub-section (1) of section 212 of the said Act of 1988:-

The Uttar Pradesh Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules , 2013

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2013.
(2)They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 2

2. In the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules,1998 , hereinafter referred to as the said rules,in rule2:-
(a) the following clause shall be omitted:-
"(iv) *"Motor Vehicles Inspector"* means a person appointed as such by the Transport Commissioner and posted at the head quarters of any region or sub-region as Assistant Regional Inspector."
(b) after clause (xxvi),the following clause shall be inserted ,namely-
"(xxvi-a) *"Taximeter"* means a measuring instrument- either mechanical or electronic- which totalizes continuously and indicate at any moment of the journey ,the charges payable by the passenger of a motor cab, in accordance with the authorized rates.

Amendment of rule 57

3-In the said rules, in rule57:-
(a)for the existing clauses(i),(ii),(iii),(iv),(v) and (vi) set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

http://jhasdesh.up.nic.in

Column-1 Existing clauses	Column-2 Clauses as hereby substituted
(i) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned power to grant, refuse, renew or transfer the permits of stage carriage, contract carriage, private service vehicles or goods carriages;	(i) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary and/or Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned power to grant, refuse, renew or transfer the permits of stage carriage, contract carriage, private service vehicles or goods carriages;
(ii) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned, all or any of its powers under Section 87 and sub-section (8) of Section 88, regarding the grant of temporary and special permits	(ii) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary &/or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned, all or any of its powers under Section 87 and sub-section (8) of Section 88, regarding the grant of temporary and special permits;
(iii) to a District Magistrate are an Additional District Magistrate with in its region all or any of its powers under clause (c) of sub-section (1) of Section 87 regarding the grant of temporary permits ;	(iii) to a District Magistrate are an Additional District Magistrate with in its region all or any of its powers under clause (c) of sub-section (1) of Section 87 regarding the grant of temporary permits ;
(iv) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to the Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of Regional Transport Authority to the Assistant Regional Transport Officer powers under Section 88 to countersign or to refuse to countersign permits in respect of transport vehicles plying on inter-State routes;	(iv) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of Regional Transport Authority to the Assistant Regional Transport Officer powers under Section 88 to countersign or to refuse to countersign permits in respect of transport vehicles plying on inter-State routes;
(v) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport	(v) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its

http://shasnadesh.up.nic.in

Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned all or any of its powers under Rules 82 and 83 regarding grant or refusal to grant the replacement of vehicles;	Additional Secretary and/or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned all or any of its powers under Rules 82 and 83 regarding grant or refusal to grant the replacement of vehicles.
(vi) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned power to issue a duplicate permit under Rule 86;	(vi) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary and/or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned power to issue a duplicate permit under Rule 86;

(b)for the existing clauses(ix) and (x) set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing clauses	Column-2 Clauses as hereby substituted
(ix) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned for the purposes of Section 103, power to issue permit on application of State Transport Undertaking in respect of notified route or notified area	(ix) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary and/or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned for the purposes of Section 103, power to issue permit on application of State Transport Undertaking in respect of notified route or notified area;
(x) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to Assistant Transport Commissioner (Administration) and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the region concerned power under sub-section (12) of Section 88 to grant, renew or refuse a national permit for goods carriages;	(x) to its Secretary and in the case of State Transport Authority to its Additional Secretary and/or Assistant Transport Commissioner (Administration) or to both and in the case of a Regional Transport Authority to any Assistant Regional Transport Officer of the

http://shasnadesh.up.nic.in

region concerned power under sub-section (12) of Section 88 to grant, renew or refuse a national permit for goods carriages;

4- In the said rules, after rule 69, the following rule shall be inserted ,namely –

Insertion of new rule 69A

“69A-Permits for motor cab as contract carriage: special condition of- The transport authority may attach to a motor cab- contract carriage- permit the condition that subject to the provisions of rule 166A of these rules a taximeter shall be fitted and maintained in proper working order."

5- In the said rules, after rule 166, the following rule shall be inserted, namely:-

Insertion of new rule 166A

"166A. Taxi Meters.-(1) A Taxi meter shall be duly approved, tested and sealed by the Controller, Weights and Measurements, Government of Uttar Pradesh or an Inspector (Weights and Measurements) duly authorized by the Controller, Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh.

(2) A permit holder who is required to fit a taximeter shall produce the vehicle under sub-rule(1) fitted with taximeter approved tested and sealed as per provisions of Standards of Weights and Measures Act ,1976, standards of Weights and Measures(General) Rules 1987 and Standards of Weights and Measures(Enforcement) Act,1985 and/or other relevant acts/rules.

(3) A permit holder shall furnish a certificate issued by the Inspector of Weights and Measures, Government of Uttar Pradesh to the effect that the taxi meter has been verified for the purpose of sub-rule(2).

(4) No person shall drive or cause or permit to be driven any motor cab fitted with taxi meter, if the taxi meter is not attached to the vehicle and sealed or if he knows or has reasons to believe that it is not accurate or is not in proper working order.

(5) No taximeter, which is in any way defective shall be fitted to any motor cab and no motor cab which is in any way fitted with a defective taximeter shall be plied in any public place.

(6) Upon service of a notice of by an inspector of weights and measures, the owner of any motor cab prohibiting the use of the taximeter shall at once remove taxi meter from his motor cab immediately withdraw from the service unless it *defects are removed and* veryfyied by the inspector .

(7) The driver of every motor cab fitted with a taximeter shall not set it in motion before it is hired and shall immediately stop when the hirer has noted the reading and fare charges are paid.

(8) A motor cab shall be considered to be hired from the time it has been engaged or if called from a distance, from the point of such call.

http://shasnadesh.up.nic.in

(9) If the driver of any motor cab fitted with a taximeter which is hired by any person is unable to proceed owing to any defect in the mechanism of the meter thereof he shall at once lower the flag to "stopped" or breakdown" and shall not restart his meter until such time as the defect is removed.

(10) No driver shall cover or obscure the face of a taximeter under any circumstances or at any time.

(11) No driver shall without reasonable excuse refuse to let the cab for hire when the flag is in a vertical position.

(12) method of calculating heir etc-

(a) every mechanical or electronic digital meter shall be so constructed as;

(i) to indicate upon the dial in suitable slots or on a suitable digital display consisting of Light Emitting Diodes (LEDs) as the case may be, the amount of fare calculated by time or by distance in kilometers, and

(ii) to have a flag showing by its position or to have window with illuminated words showing whether or not the meter is in action(i.e. "Hired" or " For Hire" or "Stopped").

(b) information to be given in slots of a mechanical meter or on digital display of an electronic digital meter, The nature of the information given in each slot of a mechanical meter, or a digital display of an electronic meter, shall be indicated by suitable working immediately above or below the slot or digital display, as the case may be. The words or signs denoting rupees or rupees and paise shall be placed immediately above, below, or beside the appropriate disc or drum positions.

(c) if it is an electronic digital meter, it shall be provided with two switches "Meter Switch" and Stop Switch" for operating the meter and shall also be provided with a "Roof Light" synchronized with the operation of the meter;

(d) the mechanism of an electronic digital meter shall be so designed that-

(i) the "For Hire" window is illuminated when the Roof Light is " On"

(ii) the "Hired " window is illuminated and the Roof Light is turned "Off" when the meter switch is pressed "On".

(iii)the "Stopped" window is illuminated when the "Stopped Switch" is pressed "On".

(iv) it shall not be possible to set the meter in any position other than the three positions mentioned in clause (i) to(iii) above.

(v) the fare by time ceases to be recorded when the meter is in the "Stopped" position;

(vi) the fare by distance is recorded off the meter if the motor cab is driven

with the meter in “Stopped” position;

(vii) the fare recorded is not obscured when the meter is in the “Hired” or “Stopped” position;

(viii) when the “meter switch” is turned off, the “For Hire” window is illuminated, the “Roof light” is turned on and the previous record of fare is cleared and the various mechanisms of the meter are brought back to the initial positions;

(ix)the mechanism for recording time and distance cannot be engaged or disengaged except by the normal sequence of operation of the switched referred to in clauses (i) to (viii);

(e) in case of mechanical meter, the mechanism driving wheels of the chasis gear- box attached to the cab.

Amendment of rule 227

6- In the said rules, in rule 227:-

(a) for sub-rule (1) set out in column 1, below the sub rule as set out in column 2 shall be substituted namely -

Column-1 Existing sub-rule	Column-2 Sub-rule as hereby substituted
(1) The officers of the Transport Department Specified in column 1 below, shall exercise the powers under the provision of sections specified against them in column 2:	(1) The officers of the Transport Department Specified in column 2 below, shall exercise the powers under the provision of sections specified against them in column 3:

S.No 1	Officer 2	Sections 3	S.No. 1	Officer 2	Sections 3
1	Transport Commissioner, Uttar Pradesh	114(1),130(2),130(3) 136, 203, 206, 207 and 213(5)	1	Transport Commissioner, Uttar Pradesh	114(1), 130(2), 130(3) 136, 203, 206, 207 and 213(5)
2	Additional Transport Commissioner, Uttar Pradesh	-do-	2	Additional Transport Commissioner, Uttar Pradesh	-do-
3	Deputy Transport Commissioner	-do-	3	Deputy Transport Commissioner	-do-

http://shasnadesh.up.nic.in

4	Secretary,State Transport Authority, Uttar Pradesh	-do-	4	Secretary, State Transport Authority, Uttar Pradesh	-do-
5	Assistant Transport Commissioner, Uttar Pradesh.	-do-	5	Additional Secretary, State Transport Authority, Uttar Pradesh	-do-
6	Regional Transport Officer	-do-	6	Assistant Transport Commissioner, Uttar Pradesh.	-do-
7	Assistant Regional Transport Officer	-do-	7	Regional Transport Officer	-do-
8	Passenger/Goods Tax Officer	114(1) and 130	8	Assistant Regional Transport Officer	-do-
9	Passenger/Goods Tax Superintendent	114(1) and 206	9	Passenger/GoodsTax Officer	114(1), 130(2), 130 (3), 203, 206 and 207(1)
			10	Passenger/Goods Tax Superintendent	114(1) and 206

(b) for sub-rule (3) set out in column 1 below, the sub-rule as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing sub rule	Column-2 Sub- rule as hereby substituted
(3) The uniform to be worn by the various officers of the Transport Department mentioned in column-2 below shall be such as is mentioned against the post in column-3	(3) The uniform to be worn by the various officers of the Transport Department mentioned in column-2 below shall be such as mentioned against each in column-3

http://shasnadesh.up.nic.in

S.No	Officer	Uniform	S.No.	Officer	Uniform
1	2	3	1	2	3
(1)	Additional Transport Commissioner (Enforcement)	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.S; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern (iii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki color (iv) Shoulder with monogram U.P.T.S (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Ashok Stambh emblem along with two five pointed star on the shoulder strep. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army). (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform)	(1)	Additional Transport Commissioner (Enforcement)	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.S; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern (iii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder with monogram U.P.T.S (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Ashok Stambh emblem along with two five pointed star on the shoulder strep. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army). (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform)

(2)	Assistant Regional Transport Officer (Enforcement)	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.S ; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in khaki; (iii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder badge with monogram U.P.T.S (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Three five pointed silver printed star on the shoulder strep. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army. (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform	(2)	Regional Transport Officer (Enforcement)	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.S; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern (iii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder with monogram U.P.T.S (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Ashok Stambh emblem on the shoulder strep. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army). (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform)
(3)	Passenger Tax Superintendent	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.D ; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in Khaki.	(3)	Assistant Regional Transport Officer (Enforcement)	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.S ; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in

http://shasnadesh.up.nic.in

		(iii) The round weeven whistle cord of light blue colour (iv) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (v) silver printed buttons (vi) Black shoes (vii) Two five pointed stars measuring 25 mm. in diameter. The star should be slightly frosted but without any decision in the center. Shoulder Badge with letters U.P.T.D.in block letter will be worn at the base of shoulder strap. The stars and letters will be of white metal; (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform			khaki; (iii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder badge with monogram U.P.T.S (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Three five pointed silver printed star on the shoulder strep. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army. (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform
(4)	Senior Motor Vehicles Inspector	(i) Khaki forage or beret cap with monogram U.P.T.D ; (ii) (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in khaki; (iii) Tie and round	(4)	Passenger/Goods Tax Officer or Senior Motor Vehicle inspector	(i) Khaki forage or beret cap with monogram U.P.T.D ; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in khaki (iii) Tie and round

http://shasnadesh.up.nic.in

		weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder badge with monogram U.P.T.D (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Three five pointed yellow plated star on half red half black parallel shoulder strap. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army.) (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform			weeven whistle cord of light khaki colour (iv) Shoulder badge with monogram U.P.T.D (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (vi) Three five pointed yellow printed star on half red half black parallel shoulder strap. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army.) (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform.
(5)	Motor Vehicles Inspector	(i) Khaki forage or beret cap with monogram U.P.T.D ; (ii) Tie and round weeven whistle cord of light khaki color (iii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in khaki; (iv)Shoulder badge with monogram U.P.T.D (v) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings	(5)	Passenger Tax Superintendent	(i) Khaki forage cap with monogram U.P.T.D ; (ii) Khaki Coat (open collar) khaki bush shirt or khaki shirt with trousers of police pattern in Khaki. (iii) The round weeven whistle cord of light blue colour (iv) Cross belt of police pattern of dark brown lather with silver fittings (v) silver printed buttons (vi) Black shoes (vii) Two five

http://shasanadesh.up.nic.in

(vi) Two five pointed yellow plated star on half red half black parallel shoulder strap. (vii) Brown shoes (as in the case of Indian Army.) (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front on the uniform.	pointed stars measuring 25 mm. in diameter. The star should be slightly frosted but without any decision in the center. Shoulder Badge with letters U.P.T.D.in block letters will be worn at the base of shoulder strap. The stars and letters will be of white metal; (viii) Name badge with name and designation prominently exhibited on the front of the uniform

By Order,

(B.S.Bhullar)
Pramukh Sachiv

http://shasnadesh.up.nic.in